प्रेस नोट थाना काँट
जनपद शाहजहाँपुर

सरहानीय कार्य दिनांक - 27.08.2025

थाना काँट पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एंव अवैध शस्त्र , मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले क्रियाशील एंव चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित एंव वारंटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य मे प्रचलित अभियान के क्रम मे, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना काँट के नेतृत्व में थाना कांट पुलिस टीम को मिली बडी कामयाबी।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.07.25 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कांट पर मु0अ0सं0 349/25 धारा 115(2)/85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज में मोटरसाईकिल की मांग करना तथा मांग पूरी न करने पर वादी की पुत्री के साथ मारपीट करना व गले में रस्सी बांधकर गला घोंटकर हत्या कर देने के सम्बन्ध मे पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 27.08.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता सुनीता उर्फ कल्लोरानी पत्नी वेदराम उम्र करीब 40 वर्ष नि0 ग्राम कुतुआपुर, थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर को ग्राम इमलिया मोड के पास से समय करीब 12.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण

सुनीता उर्फ कल्लोरानी पत्नी वेदराम उम्र करीब 40 वर्ष नि0 ग्राम कुतुआपुर, थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 349/25 धारा 115(2)/85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 27.08.2025 समय 12.55 बजे , ग्राम इमलिया मोड के पास से थाना काँट क्षेत्रान्तर्गत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 विक्रम कुमार
म0का0 2865 शालू सोम